

डिकरी व मुकदमे इब्तादाई

ओ020रूल 6-7 जाब्ता दिवानी

अदालत : उपखण्ड अधिकारी
इजलास : श्री राम लाल मीणा (आर0ए0एस0)

मुकाम - कुशलगढ़

1. श्री रणछोड़ पुत्र स्व0 दिता जाति भील निवासी गांव टिमेड़ा छोटा,
2. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 दिता जाति भील निवासी गांव टिमेड़ा छोटा,
3. श्रीमती रसली पत्नि स्व0 दिता जाति भील निवासी गांव टिमेड़ा छोटा

- वादीगण

बनाम

1. श्री गोविन्द सिंह पुत्र स्व0 दिता जाति भील निवासी गांव टिमेड़ा छोटा,
2. श्री वालु पुत्र स्व0 दिता जाति भील निवासी गांव टिमेड़ा छोटा,
3. श्री कोमजी पुत्र स्व0 दिता जाति भील नाबालिग की सरपरस्त माता श्रीमती भातुड़ी पत्नि स्व0 दिता जाति भील निवासी गांव टिमेड़ा छोटा,
4. श्री कल्पेश पुत्र स्व0 दिता जाति भील नाबालिग की सरपरस्त माता श्रीमती भातुड़ी पत्नि स्व0 दिता जाति भील निवासी गांव टिमेड़ा छोटा,
5. श्रीमती भातुड़ी पत्नि स्व0 दिता जाति भील निवासी गांव टिमेड़ा छोटा,
6. श्री शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुशलगढ़
7. श्री भुमिधारी तहसीलदार, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 88,91,209 रा.का.अ. 1955

प्रकरण सं0 45/2022
ऑनलाईन प्र.स. 2022/58

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रुबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रुबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है/डिक्री जारी की जाती है कि-

मौजा टिमेड़ा छोटा पटवार क्षेत्र झीकली तहसील कुशलगढ़ की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 155 रकबा 1.0279 हैक्टेयर किस्म भूरी तृतीय लगान 1.08 व सर्वे नम्बर 49 रकबा 0.1700 हैक्टेयर किस्म भूरी तृतीय लगान 0.18 कुल कीता 02, कुल रकबा 1.1979 लगान 1.26 में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के बजाय (प्रविष्ठी हटाना) वादीगण श्री रणछोड़ पुत्र दिता, श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र दिता, श्रीमती रसली पत्नि स्व0 दिता जाति भील निवासीयान टिमेड़ा छोटा प्रत्येक को 1/3 हिस्सा दिये जाने की आज्ञा दी जाती है। सम्पूर्ण खाता भूमि पर प्रत्येक का 1/3 हिस्सा रहन भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुशलगढ़ के नाम बदस्तुर रहेगा। प्रार्थी पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करें।

मिज.....मुलालिगबात.....खर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह.....फिसदी सालाना अज तारीख से तारीख अदायगी तक.....बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 07.02.2024 को जारी की गई।



मुदई
स्टाम्प अर्जी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प बजह सवूत
महनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल हर दो फरिकेन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

मुदायलाल
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अर्जी
महनताना
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक मिजान मुतफखियख

रूपया पैसा

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)